

प्रेषिका,

श्रीमती सुधा,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या 5, बरेली।

सेवा में,

महा निबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषयः— जनपद बरेली से दिल्ली के आस पास किसी अन्य जनपद में
स्थानान्तरण करने के सम्बंध में—

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरी बेटी पीहू की आयु करीब साढ़े तीन वर्ष
है। वह दिनांक 11.09.2018 से नेफ्रोटिक सिङ्गोम से ग्रसित है, जो किडनी से
सम्बंधित बीमारी है और जिसका उपचार केवल दिल्ली में ही है। मेरी बेटी का
उपचार अपोलो हास्पिटल दिल्ली के चिकित्सक डा० ए.एस. वासुदेव द्वारा किया जा
रहा है, जिसके लिए मुझे माह में दो बार अपनी बेटी को लेकर दिल्ली जाना होता
है। मैं अकेली ही रहती हूँ तथा मैं अकेली ही अपनी बेटी को दिल्ली लेकर जाती
हूँ। मेरे साथ कोई पुरुष सदस्य नहीं है। नेफ्रोटिक सिङ्गोम के कारण मेरी बेटी का
बी०पी० हमेशा बढ़ा रहता है। सितम्बर 2018 में बी०पी० 150–160 तक पहुँच गया
था, जिस कारण मुझे अपनी बेटी को उपचार हेतु तुरन्त दिल्ली ले जाना पड़ा एवं
अपोलो हास्पिटल दिल्ली में भर्ती कराना पड़ा। उपरोक्त स्थिति कभी भी उत्पन्न हो
जाती है, जिस कारण मैं मानसिक रूप से काफी विचलित हो जाती हूँ एवं न्यायिक
कार्य के सम्पादन में भी काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। बेटी के उपचार के
चिकित्सीय प्रपत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरी उपरोक्त समस्या
को दृष्टिगत रखते हुए मेरा स्थानान्तरण दिल्ली के नजदीक करने की कृपा करे
जिससे मेरी बेटी का इलाज सुचारू रूप से चल सके व मेरे द्वारा किये जा रहे
न्यायिक कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न न हो।

सादर।

भवदीया,

श्रीमती सुधा

(श्रीमती सुधा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या 5, बरेली।